

006 04129 07562241766

परिष्कार 1137

प्रश्न सं. [क. 207]

जिला सीधी (म.प्र.)
राज्य शासन
साामान्य प्रशासन विभाग

7 JUN 2006
CE 202 P

मध्य प्रदेश शासन
साामान्य प्रशासन विभाग
अधीनस्थ

मोपाल, दिनांक 11 जून, 2000

श्रीगणेश साभागायुक्त,
समरत गलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय :- शिक्षणसमा क्षेत्रवार विकास कार्यो की समीक्षा।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि विधानसभा क्षेत्रवार विकास कार्यो को गति देने हेतु गानो विधायकगण की भगीदारी सुनिश्चित की जाए। अतः विधानसभा क्षेत्र में आने वाले अनुविभाग तथा विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों को बैठक का आयोजन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा प्रत्येक 3 माह में किया जाये। जिस विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक अनुविभागों के क्षेत्र आते हैं, वहाँ जिला कलेक्टर यह तय करेंगे कि कौन से अनुविभागीय अधिकारी संयोजक होंगे। विधानसभा क्षेत्र में जो वह विकास कार्यो की समीक्षा के लिए अनुविभागीय अधिकारी एवं विकासखण्ड स्तरीय सभी अधिकारी बैठक में उपस्थित रहेंगे।

2/ → बैठक की तिथि का निर्धारण संबंधित गानो विधायक से सम्भव कर लिया जाये। बैठक की अध्यक्षता गानो विधायक एवं संयोजन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) करेंगे।

3/ बैठक का कार्यक्रम भी विषय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा अधिलिखित किया जाएगा। विभागीय अधिकारी उनके विभाग से संबंधित सभी विकास योजनाओं में प्राप्त आवंटन प्रशासकीय

4/ योजनाओं की जानकारी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

5/ साामान्य आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सुनिश्चित करेंगे कि इन बैठकों का नियमित रूप से आयोजन हो।

6/ कृपया तदनुसार तदसंबंधितों को आवश्यक निर्देश दें।

(अधिलेश अर्गल)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
साामान्य प्रशासन विभाग

1462
25/8/06

3088
28/6/06

165
28/8/06

क्र. 42
28/6/06

3196
29/6/06

29/8/06

संयुक्त सचिव
पंचायत राज विभाग
मध्यप्रदेश

संयुक्त सचिव
पंचायत राज विभाग
मध्यप्रदेश